नियोजन अनुभाग-1,

संख्याः 45/2015/1219/35-1-2015/2/1(29)/2015

दिनांकः दिसम्बर 07, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्य इनोवेशन कोष की रू0 50.00 करोड़ की धनराशि का वितरण श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

विभाग	धनराशि (रू0करोड़ में)	इनोवेशन परियोजनायें जिनके लिये धनराशि दी जानी है
क-नियोजन विभाग	40.00	सुशासन के क्षेत्र में प्रदेश के 75 जनपदों में (रू. 50.00 लाख प्रति जनपद)* इनोवेशन से संबंधित परियोजनाओं के लिये तथा रू0 10.00 लाख से ऊपर की असंगठित क्षेत्र की परियोजना के लिये, जो विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी परिषद एवं डा0ए0पी0जे0ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा इनोवेशन सेल को प्रस्तुत की जायेगी।
ख-विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग/परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	5.00	असंगठित क्षेत्र के अकुशल बेरोजगार, शिल्पकार, किसान, कारीगर, मिस्त्री, जन-सामान्य लोग, विद्यार्थी तथा ऐसे लोग जो नौकरी पेशा से न जुडे हों, संगठित क्षेत्र जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, चिकित्सा इत्यादि पाठ्यक्रमों से न जुडे हों, के रू0 10.00 लाख के नीचे की परियोजनाओं के लिये।
ग-प्राविधिक शिक्षा विभाग/ डा0ए0पी0जे0ए0 के0टी0यू0, लखनऊ	5.00	लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगार/व्यक्तिगत/समूह से संबंधित इनोवेशन /नवीन प्रयोगों के लिये डा0ए0पी0जे0ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा गठित इन्क्यूवेशन सेन्टर की मदद से किये जाने वाले प्रयोगों के माध्यम से रू0 10.00 लाख के नीचे के प्रस्तावों के लिये।

* 1- समस्त धनराशि रू0 40.00 करोड़ नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी।

2- उन जनपदों की धनराशि जो अच्छे कार्य नहीं करेंगे उन्हें अच्छे कार्य करने वाले जनपदों मे वितरित कर दी जायेगी या रू0 10.00 लाख से ऊपर की परियोजनाओं जो राज्य इनोवेशन सेल के माध्यम से राज्य इनोवेशन परिषद को प्रस्तुत की जायेगी उनमें राज्य इनोवेशन सेल द्वारा वितरित कर दी जायेगी।

3- सुशासन के क्षेत्र में जिले स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य इनोवेशन सेल द्वारा नियोजन विभाग में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण कराया जायेगा, तत्पश्चात् समिति के अनुमोदनोपरान्त परियोजनाओं की अनुमोदित धनराशि राज्य इनोवेशन सेल द्वारा संबंधित जनपदों को वितरित कर दी जायेगी।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित विभाग यथा-नियोजन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग आगामी वर्ष 2016-17 के मूल बजट में तद्नुसार धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा धनराशि का व्यय अपने विभागीय मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार व्यय करेगें।

नियोजन विभाग में गठित राज्य इनोवेशन सेल द्वारा असंगठित क्षेत्र में (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/परिषद, उ0प्र0, लखनऊ तथा डा0ए0पी0जे0ए0के0टी0यू0, लखनऊ) द्वारा किये गये कार्यो का समय-समय पर अनुश्रवण किया जायेगा।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या: 45/2015/1219/(1)/35-1-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, नियोजन विभाग।
3- प्रमुख स्टाफ आफीसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।
7- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8- समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उ0प्र0।
9- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
10- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
11- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान/अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद/अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग।
12- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव